इस प्रतिवेदन में दो निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 35 कंडिकाएँ हैं जिनमें ₹ 893.61 करोड़ से सन्निहित कर, ब्याज इत्यादि का नहीं/कम आरोपित किए जाने से संबंधित मामले हैं। प्रमुख निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है :

I. सामान्य

वर्ष 2010–11 के लिए बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 44,532.32 करोड़ थी। कर राजस्व के ₹ 9,869.85 करोड़ और कर भिन्न राजस्व के ₹ 985.53 करोड़ को मिलाकर राज्य सरकार ने कुल ₹ 10,855.38 करोड़ का राजस्व सृजित किया। भारत सरकार से ₹ 33,676.94 करोड़ (विभाज्य संघीय करों में राज्य का हिस्सा: ₹ 23,978.38 करोड़ और सहायता अनुदान: ₹ 9,698.56 करोड़) की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कर राजस्व में राज्य सरकार का अपना योगदान कुल राजस्व का मात्र 24 प्रतिशत था।

(कंडिका 1.1.1)

दिसम्बर 2010 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं, जिनका निराकरण जून 2011 तक नहीं हो पाया था, की संख्या क्रमशः 4,259 एवं 22,364 थी जिसमें ₹ 10,404.30 करोड़ अंतर्निहित थे। 1,671 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर भी हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, यद्यपि इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर उत्तर दिया जाना अपेक्षित था।

(कंडिका 1.2.1)

हमने वाणिज्यकर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग तथा अन्य विभागीय कार्यालयों की वर्ष 2010–11 के दौरान नमूना जाँच किया एवं 1,858 मामलों में ₹ 1,978.35 करोड़ के राजस्व का अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला। वर्ष 2010–11 के दौरान संबंधित विभागों ने 232 मामलों में अंतर्निहित ₹ 80.26 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया।

(कंडिका 1.5.1)

II. वाणिज्य कर

'अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता' पर एक निष्पादन लेखा परीक्षा से निम्नलिखित त्रुटियाँ संसूचित हुईः

घोषणा प्रपत्रों का कमीश्नरी से अंचलों को निर्गम किये जाने हेतु कोई विहित प्रणाली नहीं थी । प्रपत्रों के भंडार का भौतिक सत्यापन हेतु भी कोई प्रावधान नहीं था।

(कंडिका 2.2.8.1 एवं 2.2.9)

कर से छूट/रियायत की स्वीकृति से पूर्व घोषणा प्रपत्रों के उपयोग का टिनक्सिस (TINXSYS) वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं से जाँच करने का कोई प्रावधान नहीं था। पुनः, संवीक्षा का प्रावधान भी रिटर्न में दिखलाये गये क्रय /प्राप्तियों के साथ घोषणा प्रपत्रों के उपयोग की जाँच करना विहित नहीं करता था।

(कंडिका 2.2.11 एवं 2.2.13)

वर्ष 2006–07 से 2009–10 के दौरान वाणिज्यकर विभाग के मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो स्कंध द्वारा कोई घोषणा प्रपत्र सत्यापन हेतु भेजा नहीं गया था, यद्यपि यह कार्य स्कंध को सौंपा गया था ।

(कंडिका 2.2.12.2)

चार व्यवसायियों ने वर्ष 2006–10 की अवधि के दौरान अन्य राज्यों के व्यवसायियों द्वारा निर्गत सात जाली घोषणा प्रपत्रों के आधार पर ₹ 1.57 करोड की छूट/रियायत का लाभ लिया, जबकि ये घोषणा प्रपत्र उस राज्य के संबंधित अंचलों द्वारा निर्गत नहीं किये गये थे।

(कंडिका 2.2.14.1)

बारह व्यवसायियों ने वर्ष 2006–10 के दौरान 28 घोषणा प्रपत्रों के समर्थन पर ₹ 9.10 करोड़ की छूट/रियायत का लाभ लिया/स्वीकार किया गया। परन्तु तिर्यक जाँच से हमने पाया कि ये घोषणा प्रपत्र ₹ 5.30 करोड़ हेतु ही निर्गत किये गये थे । इस प्रकार ₹ 3.80 करोड़ की छूट अनियमित थी।

(कंडिका 2.2.14.2)

नौ व्यवसायियों ने वर्ष 2006–09 के दौरान राज्य के व्यवसायियों द्वारा निर्गत 26 घोषणा प्रपत्रों के आधार पर ₹ 9.34 करोड़ की छूट/रियायत का लाभ लिया, जबकि ये घोषणा प्रपत्र वास्तव में संबंधित अंचल अथवा व्यवसायी द्वारा दूसरे व्यवसायी को निर्गत किया गया था ।

(कंडिका 2.2.14.3)

तेइस वाणिज्यकर अंचलों में 50 व्यवसायियों द्वारा ₹ 614.29 करोड़ के विक्रय/क्रय आवर्त का छिपाव किये जाने के फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित ₹ 123.20 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.4)

सतरह वाणिज्यकर अंचलों में कर के गलत दर लगाए जाने के पता नहीं लगने के फलस्वरूप ब्याज एवं आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 57.68 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.5)

आठ वाणिज्यकर अंचलों में व्यवसायियों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनियमित दावे के फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 40.26 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति दी गई।

(कंडिका 2.6)

छः वाणिज्यकर अंचलों में तेरह निबंधित व्यवसायियों द्वारा ₹ 814.41 करोड़ की अनुसूचित वस्तुओं के आयात/क्रय का छिपाव किये जाने के फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 512.04 करोड़ का प्रवेश कर कम आरोपित किया गया।

(कंडिका 2.21)

III. मोटर वाहनों पर कर

'बिहार में परिवहन विभाग का कम्प्यूटरीकरण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित त्रुटियाँ संसूचित हुईः

आठ नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों में वाहन एवं सारथी सॉफ्टवेयर तीन और 27 माह के विलम्ब से लागू किये गए थे।

(कंडिका 3.2.6)

सुरक्षा नीति अपर्याप्त थी तथा आँकड़ों का दुरुपयोग/हेरा–फेरी अथवा अनाधिकृत रुप से जोड़ने/विलोपित करने के लिए कम्प्यूटर प्रणाली सुभेद्य थी ।

(कंडिका 3.2.11.1)

इनपुट कंट्रोल तथा वैधता जाँच की अपर्याप्तता के फलस्वरूप दोहरा इंजन संख्या एवं चेसिस संख्या, एक ही बीमा कवर नोट में दो या अधिक वाहनों का निबंधन, कर भुगतान की असंगत अवधि दर्ज किये जाने और गलत बैठान क्षमता दर्शाये जाने के कारण डाटावेस अविश्वसनीय था।

(कंडिका 3.2.14)

वाहन सॉफ्वेयर द्वारा जनित कर की राशि, स्थापित व्यावसायिक नियमों के अनुसार नहीं थे।

(कंडिका 3.2.15.3)

बत्तीस जिला परिवहन कार्यालयों में, अप्रैल 2001 एवं दिसम्बर 2010 के दौरान 1,025 परिवहन वाहनों से संबंधित ₹ 16.02 करोड़ (अर्थदण्ड सहित) के बकाए कर का न तो वाहन मालिकों द्वारा भुगतान किया गया था और न ही संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा बकायों की वसूली हेतु कोई कार्रवाई की गई थी।

(कंडिका 3.4)

पाँच जिला परिवहन कार्यालयों में, 10,530 व्यावसायिक ड्राइभिंग लाइसेंस अयोग्य व्यक्तियों को स्वीकृत किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 22.11 लाख के राजस्व की हानि हुई एवं इसमें सड़क सुरक्षा का मुद्दा भी सन्निहित था।

(कंडिका 3.6)

IV. अन्य कर प्राप्तियाँ

विलम्ब से बंदोबस्त/अबंदोवस्त उत्पाद दुकानों का संचालन विभाग/बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड द्वारा नहीं किये जाने के कारण अनुज्ञप्ति शुल्क के रुप में सरकार को ₹ 101.78 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 4.5)

प्रेषित मामलों का निष्पादन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 61.44 लाख का सरकारी राजस्व अवरूद्ध हुआ।

(कंडिका 4.6)

V. कर भिन्न प्राप्तियाँ

नौ जिला खनन कार्यालयों में, वर्ष 2009–10 के ईंट मौसम के दौरान 420 ईंट भट्ठे समेकित रॉयल्टी की राशि का भुगतान किए बगैर/आंशिक भुगतान कर परिचालित थे, जिसके फलस्वरूप ₹ 35.63 लाख का साधारण ब्याज के अतिरिक्त ₹ 1.89 करोड़ की रॉयल्टी का नहीं/कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 5.3.1)

दो सिंचाई प्रमण्डलों में, वर्ष 2008–10 के दौरान खरीफ का 1,27,839.97 एकड एवं रबी का 1,10,991.12 एकड़ सिंचित भूमि की खतियानी प्रमण्डलों द्वारा तैयार नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप ₹ 1.96 करोड़ के जल कर के माँग का सृजन एवं संग्रहण नहीं हुआ।

(कंडिका 5.6)

चार पथ प्रमंडलों में, छः कम्पनियों से आप्टिकल फाइबर केबल तथा विद्युत लाइनों के बिछाने के लिये भूमि उपयोग शुल्क की वसूली नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप ₹ 62.89 लाख के भूमि उपयोग शुल्क की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 5.7)